[2023] 2 एस. सी. आर. 611

पश्चिम बंगाल राज्य

वी.

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 8842-8855 2022 का)

मार्च 03,2023

[कृष्ण मुरारी और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-आयोजितः राज्य सरकार द्वारा जारी नीति का अस्तित्व अनिवार्य है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ करना-हालाँकि, वर्तमान मामले में, पश्चिम राज्य में स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति मौजूद नहीं थी।

बंगाल-इसलिए, इस तरह की नीति के अभाव में, संबंधित नगर पालिकाओं में काम करने वाले मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, अनुकंपा रोजगार देने का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिससे परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया जाता है-इस प्रकार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति/योजना का संचालन तत्कालता के विचार पर आधारित है-हालांकि, तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों ने वर्ष 2015 में ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख से लगभग दस साल बीत गए।

उत्तरदाताओं को विवेकाधीन राहत यू/Art.226 से वंचित कर दें।

वर्ष 2023 में 2005-2006 में किए गए दावे का मनोरंजन करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि निश्चित रूप से, उत्तरदाता सफलतापूर्वक नहीं मिलने के बावजूद जीविकोपार्जन करने में सक्षम रहे हैं।

अनुकंपा के आधार पर नगर पालिका की सेवाओं में नियुक्त वर्तमान मामले में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में तात्कालिकता की भावना खो गई है

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए उत्तरदाताओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए-राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भर्ती का पश्चिम बंगाल विनियमन

उपक्रम, सांविधिक निकाय, सरकारी कंपनी और स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम, 1999-पश्चिम बंगाल नगर निगम, कर्मचारी (भर्ती) नियम, 2005-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-विलंब/विलंब।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्तिः सिद्धांत गिने गए।

योजना के पीछे का उद्देश्य और तर्क-चर्चा की गई।

दावों का निर्धारण-कारकों-पर चर्चा की गई। आवेदन-जिस तरीके से राज्य प्राधिकरणों द्वारा निपटा जाता है,

बदनाम-आयोजितः अनुकंपा नियुक्ति के दावों पर निर्णय लेने में राज्य के अधिकारियों की ओर से देरी सरकार की अनुकंपा नियुक्ति की योजना के उद्देश्य को ही निराश करती है

अधिकारियों को अत्यधिक सक्रियता की भावना के साथ कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजना के पूर्ण उद्देश्य को पूरा किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति के दावों पर निर्णय लेते समय तात्कालिकता।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक प्रावधान सामान्य प्रावधानों से अलग करता है जो प्रदान करता है भर्ती की एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी पद पर नियुक्ति। चूँकि ऐसा प्रावधान उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्ति करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह सामान्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद की प्रकृति है और इसका सहारा लिया जाना चाहिए

केवल घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक स्रोत नहीं है

भर्ती। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रित आजीविका के साधनों से वंचित न रहें। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है। अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है।

यह निर्धारित करने में कि परिवार वित्तीय संकट में है या नहीं, आय सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिवार, उसकी देनदारियाँ, परिवार द्वारा प्राप्त अंतिम लाभ, यदि कोई हो, तो उसके सदस्यों की आयु, निर्भरता और वैवाहिक स्थिति, किसी अन्य स्रोत से आय के साथ।

उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य v. देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

इसलिए, दयालुता की योजना का उद्देश्य निराश होगा। जहाँ मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद से एक लंबा समय बीत गया है, वहाँ अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए तात्कालिकता की भावना मौजूद नहीं होगी और इस प्रकार खो जाएगी। इसका महत्व और यह एक प्रासंगिक परिस्थिति होगी जिसे यह निर्धारित करने में अधिकारियों के साथ विचार करना चाहिए कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए एक मामला विचार के लिए बनाया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि मृतक कर्मचारी का परिवार मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से एक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए बिना दो उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होगा। मृतक की मृत्यु के समय मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति प्राथमिक विचार है जो अधिकारियों के निर्णय का मार्गदर्शन करना चाहिए।

मामले में। [पैरा 7.2-7.4] [630-एफ-एच; 631-ए-एच; 632-ए-सी] 1.2 ऐसे मामले में जहां, लंबे समय तक विलंब के कारणों से, या तो आवेदक की ओर से अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने में

या अधिकारी इस तरह के दावे पर निर्णय लेने में, तात्कालिकता की भावना कम हो जाती है और खो जाती है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय से मृतक के परिवार की वित्तीय परिस्थितियाँ बेहतर के लिए बदल गई होंगी। ऐसे में

परिस्थितियों, न्यायालयों या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को इस तथ्य से निर्देशित किया जाना चाहिए कि देरी की ऐसी लंबी अवधि के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23] 2 एस सी आर।

मृतक का परिवार संभवतः किसी अन्य स्रोत से लाभकारी रोजगार का लाभ उठाकर अपना भरण-पोषण करने में सक्षम था। ऐसे मामले में अनुकंपा नियुक्ति देना अनुकंपा नियुक्ति के दावे को उत्तराधिकार के आधार पर विरासत का मामला मानने के बराबर होगा जो संविधान के विपरीत है। चूँकि अनुकंपापूर्वक नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और यह मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय स्थिति और कठिनाई के सापेक्ष है,

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद से काफी समय बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 7.5] [632-सी-जी]

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हकीम सिंह, (1997) 8 एस. सी. सी. 85: [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 377-पर निर्भर।

1.3 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, आम तौर पर, एक रिट याचिका उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए। द. उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2005-2006 में अपने आवेदन जमा करने पर वर्ष 2015 तक यानी दस साल की अवधि के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। अपीलकर्ता-राज्य के अधिकारियों द्वारा उनके आवेदनों से निपटने में देरी के बावजूद, प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रकृति में एक रिट की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी की।

राज्य के अधिकारियों के खिलाफ एक आदेश। वास्तव में, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में इतनी लंबी देरी, हो सकती है

एक उपाय की छूट के रूप में माना जाता है, जो उत्तरदाताओं के आचरण से स्पष्ट है-रिट याचिकाकर्ता। इस तरह की देरी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत के लिए उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर देगी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय का आदेश जिसके तहत कुछ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था, कार्रवाई के कारण के पुनरुद्धार का प्रभाव नहीं माना जा सकता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नीति/योजना का संचालन तात्कालिकता के विचारों पर आधारित होता है। तात्कालिकता की भावना की आवश्यकता केवल उस तरीके से नहीं है जिसमें आवेदन पश्चिम बंगाल राज्य v के राज्य हैं।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

संबंधित अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाता है, लेकिन अपने मामले को आगे बढ़ाने में आवेदक के आचरण में, अधिकारियों के समक्ष और यदि आवश्यक हो तो अदालतों के समक्ष भी। वर्तमान मामले में, आवेदन अनुकंपा नियुक्ति के लिए उत्तरदाता लेखन याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2005-2006 में किया गया था। मान लीजिए, बर्दवान नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा पहला ठोस कदम वर्ष 2013 में उठाया गया था, जब उक्त प्राधिकरण ने स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी।

बर्दवान नगरपालिका। उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख से लगभग दस साल के अंतराल के बाद, वर्ष 2015 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। द.

उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता इतने विवेकपूर्ण नहीं थे कि

यह दावा करते हुए कि अपीलार्थी-राज्य द्वारा मैंडमस की प्रकृति में रिट की मांग करके आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जल्द ही न्यायालयों से संपर्क करें। इसका भाव

वर्तमान मामले में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में तात्कालिकता समाप्त हो गई है। इसका श्रेय अपीलार्थी-राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं को दिया जा सकता है। अब, वर्ष 2023 में 2005-2006 में किए गए दावे पर विचार करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्वीकार है कि उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ता सफलतापूर्वक नियुक्ति नहीं होने के बावजूद जीविकोपार्जन करने में सक्षम रहे हैं।

अनुकंपा के आधार पर नगर पालिका की सेवाएं। अतः यह निर्देश देने के लिए उपयुक्त मामले नहीं हैं कि

उत्तरदाता-अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए याचिकाकर्ताओं को लिखें, उन पर विचार किया जाए या उन पर विचार किया जाए। [पैरा 8,10-13] [634-B C, F-H; 635-A-B; 636-H; 637-A-F]

मून मिल्स लिमिटेड बनाम एम. आर. मेहर, अध्यक्ष, औद्योगिक

कोर्ट, बॉम्बे, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1450 ने इसका अनुसरण किया।

(1997) 6 एस. सी. सी. 538; एन. डी. एम. सी. बनाम पान सिंह, (2007) 9 एस. सी. सी. 278: [2007] 3 एस. सी. आर. 711; उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी, (2013) 12 एस. सी. सी. 17: [2013] 9 एस. सी. आर. 609 पर भरोसा किया। -

1.4 अनुकंपा नियुक्ति के दावों पर निर्णय लेने में राज्य के अधिकारियों की ओर से देरी निस्संदेह [2023] 2 एस. सी. आर. को निराश करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य। सरकारी अधिकारियों को अनुकंपापूर्ण नियुक्ति के दावों पर निर्णय लेते समय अत्यधिक सक्रियता और तत्कालता की भावना के साथ कार्य करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी योजना का संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो। [पैरा 14] [637-डी-एच; 638-ए] 1.5 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर उस तिथि के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जिस दिन आवेदन दायर किया जाता है। वर्तमान मामले में, आवेदन वर्ष 2006 में दायर किए गए थे। इसलिए, उन्हें परिपत्र संख्या 97-एम्प के आलोक में तय करना होगा। परिपत्र सं. के साथ पढ़ें।

142 - एम्प. परिपत्र संख्या 97-एम्प। परिपत्र संख्या 142-एम्प के साथ पढ़ें। अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से संबंधित,

केवल राज्य सरकार के कर्मचारी। यह देखते हुए कि उक्त परिपत्र स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करता है, स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नीति का अस्तित्व अनिवार्य है। नियुक्तियों को नीति में की गई शर्तों का पालन करना चाहिए। स्थानीय प्राधिकरण के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली नीति के अभाव में, अनुकंपा के आधार पर ऐसे प्राधिकरण में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। उस परिपत्र संख्या को धारण करने के बाद। 301

एम्प, 305-एम्प और 303-एम्प। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्षों को स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू नहीं माना जा सकता है

उस प्रभाव के लिए न्यायालय जिसने उस परिपत्र संख्या 301-एम्प को दिया। , 302 एम्प. और 303 एम्प। विशेष रूप से वापस नहीं लिए गए थे, वे लागू होते रहेंगे और इसलिए, दयालु

नगर पालिकाओं के संबंध में नियुक्ति परिपत्र संख्या के तहत योजना द्वारा शासित होगी। 301 - एम्प. , 302- एम्प. और 303 एम्प की पुष्टि नहीं की जा सकती है। [पैरा 16.2 और 16.4] [644-एफ-जी; 645-एफ एच; 646-ए-बी]

मुमताज यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 11 एस. सी. सी. 384: [2008] 5 एस. सी. आर. 241; भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी, 2014 (15) एस. सी. सी. 739-आश्रित

पर।

1.6 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति मौजूद नहीं थी।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

बंगाल और इसलिए, ऐसी नीति के अभाव में, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यह मानते हुए कि ऐसी नीति थी, यह निर्देश देने का कोई उद्देश्य नहीं होगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन

उन पर विचार किया गया और दायर किए जाने के कई वर्षों बाद निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और सामान्य आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया जाता है। [पैरा 16.5,17] [646-सी-एफ]

सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ, (1989) 4 एस. सी. सी. 468; उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138 [1994] 3 एस. सी. आर. 893; हरियाणा राज्य बनाम अंकुर गुप्ता, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3797 [2003] 3 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 333; जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1996) 1 एस. सी. सी. 301 [1995] 5 पूरक। एस. सी. आर. 177; आई. जी. (कर्मिक) बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी (2007) 6 एस. सी. सी. 162: [2007] 5

एस. सी. आर. 978; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2743: [2006] 3 पूरक। एससीआर 576; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शशि कुमार, (2019) 3

एस. सी. सी. 653 [2019] 2 एस. सी. आर. 432-पर निर्भर था।

मलाया नंदा सेठी बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 2836; अशोक लेंका बनाम ऋषि दीक्षित, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2382

: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 142-संदर्भित।

गोबिंद हाजरा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, 2017 का डब्ल्यू. पी. संख्या 13147 (डब्ल्यू); देबब्रत तिवारी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य का 30 सितंबर, 2019 का फैसला, 2018 के सी. ए. एन. 6137 के साथ 2018 के एम. ए. टी. 859 में उत्तीर्ण -

संदर्भित किया गया।

लिंडसे पेट्रोलियम कंपनी बनाम प्रोस्पर आर्मस्ट्रांग, (1874) 3

पी. सी. 221-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 2 एससीआर 432

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.2

[1994] 3 एससीआर 893

पै

रा 7.1 (ii)

उस पर भरोसा करें

[1997] 4 पूरक। एससीआर 377

पै

रा 7.1 (iii)

उस पर भरोसा करें

[2003] 3 पूरक। एससीआर 333

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.1 (iv)

पैरा 7.1 (v)

[1995] 5 पूरक। एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

[2007] 5 एससीआर 978

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.1 (v)

[2008] 5 एससीआर 241

पैरा 7.1 (v)

उस पर भरोसा करें

पैरा 7.1 (vi)

[2006] 3 पूरक। एससीआर 576

उस पर भरोसा करें

[1987] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2007] 3 एससीआर 711

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2013] 9 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2006] 1 पूरक। एससीआर 142

पै

रा 16.2

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8842

8855 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 30.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कलकत्ता में एम. ए. टी. सं. 859 , 860 , 853 , 861 , 863 , 864 , 862 , 854 , 855 , 856 , 857,858 , 634 और 2018 का 847।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री.

आरुषि मिश्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

इंद्रदीप पाल, श्रीमती सौगत पाल दास, रउफ रहीम, सुश्री एकता

चौधरी, चंचल कुमार गांगुली, शाश्वत पांडा, सुश्री वंदना तिवारी, सुश्री सिमरान सिंह, जोहेब हुसैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

वर्तमान अपीलें फैसले पर आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं और

30 सितंबर, 2019 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का सामान्य आदेश, 2018 के सी. ए. एन. 6137 और संबंधित मामलों के साथ 2018 की एम. ए. टी. 859 अपीलों के एक समूह में। विवादित निर्णय और सामान्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2016 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2739 (डब्ल्यू) में पारित 05 जुलाई, 2018 के उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और संबंधित मामलों को दरकिनार कर दिया और स्थानीय निकायों के निदेशक, बर्दवान नगर पालिका और राणाघाट और हाबरा नगर पालिकाओं में संबंधित प्राधिकरण को प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले रिट याचिकाकर्ता। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी इस योजना की पहचान की जिसके आलोक में उक्त आवेदनों पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा।

पश्चिम बंगाल राज्य v. देबव्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

2. वर्तमान अपीलें उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं के दावों से संबंधित हैं, जो बर्दवान, राणाघाट और हाबरा नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी संबंधित नगर पालिकाओं में पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत्यु हो गई थी। ये सभी अपीलें सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की पात्रता और क्या राज्य की कोई योजना के बारे में सामान्य प्रश्नों से संबंधित हैं। सरकार अनुकंपा नियुक्ति के उनके दावे का समर्थन करती है। इसके अलावा, चूंकि सभी उत्तरदाताओं का मामला समान है, इसलिए अकेले बर्दवान नगर पालिका से संबंधित तथ्यों को संक्षेप में नीचे दिया जा सकता है:

2.1 . उत्तरदाताओं का मामला-बर्दवान नगर पालिका से संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उनसे प्राप्त आवेदनों के आधार पर

(उत्तरदाता सं. 6); बर्दवान के कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका (प्रतिवादी संख्या 7) और स्थानीय निकायों के उप निदेशक, बर्दवान प्रभाग, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के हकदार थे।

2.2 . कि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर और पश्चिम बंगाल में निर्धारित मानदंडों का पालन करने के बाद

बर्दवान नगरपालिका के पार्षदों ने 30 मई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में 62 योग्य उम्मीदवारों की सूची को मंजूरी दी। उक्त नगर पालिका में समूह 'सी' और 'डी' पदों पर भर्ती। उत्तरदाताओं के नाम उक्त सूची में शामिल थे।

2.3 . कि बर्दवान नगर पालिका के अध्यक्ष ने 12 जून, 2013 के ज्ञापन के माध्यम से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित एक सूची भेजी

30 मई, 2013 को पार्षद मंडल की बैठक में, निदेशक को एक निरीक्षण/जांच रिपोर्ट और अन्य प्रशंसापत्र के साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय, पश्चिम बंगाल सरकार (प्रतिवादी संख्या 4)। रिट याचिकाकर्ताओं के नाम छूट प्राप्त श्रेणी के तहत समूह 'सी' के तहत योग्य उम्मीदवारों की सूची में दिखाई दिए, 'उन व्यक्तियों के आश्रित जो नौकरी में मर गए'।

2.4 . कि 7 जून 2014 को, अध्यक्ष, बर्दवान नगर पालिका,

प्रत्यर्थी संख्या 5 ने एक ज्ञापन संख्या के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की प्रस्तावित सूची भेजी 512 / 12-6, स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, [2023] 2 एस. सी. आर.

(इसमें अपीलकर्ता), और स्थानीय निकायों के निदेशक से मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखने का अनुरोध किया।

2.5 . चूंकि स्थानीय निकायों के निदेशक या पश्चिम बंगाल सरकार ने उम्मीदवारों की सूची की प्राप्ति के अनुसार कदम नहीं उठाए, इसलिए देबब्रत तिवारी (प्रतिवादी संख्या 1) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की संख्या 3243 (डब्ल्यू) वाली एक रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रासंगिक छूट श्रेणी के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की गई। बर्दवान नगर पालिका के सचिव ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र था, उन व्यक्तियों के आश्रितों की छूट श्रेणी के तहत जिनकी मृत्यु हो गई थी और यह कि बर्दवान

नगरपालिका ने इस संबंध में आवश्यक कागजात पहले ही स्थानीय निकाय निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालय को भेज दिए थे।

2.6 . उक्त रिट याचिका का निपटारा 17 मार्च, 2015 के एक आदेश द्वारा स्थानीय निकायों के निदेशक को एक निर्देश के साथ किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार उक्त आदेश के संचार की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर नगर पालिका के अध्यक्ष की सिफारिश पर निर्णय लेगी और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका के अध्यक्ष को इस तरह के निर्णय से अवगत कराएगी।

2.7 . 2015 के डब्ल्यू. पी. संख्या 3243 (डब्ल्यू) में उच्च न्यायालय के निर्देश की निरंतरता में, स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम सरकार

शहरी स्थानीय निकायों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ, जब तक कि इस मामले में नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो। इसलिए स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा यह देखा गया कि जैसे ही राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए ऐसी नीति का विस्तार करती है, अनुकंपा के साथ इस आधार पर, डाई-इन-हार्नेस श्रेणी में, प्रतिवादी संख्या 1 की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।

2.8 . 16 अक्टूबर, 2015 को स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की संख्या 2733 (डब्ल्यू) वाली एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

रिट याचिकाओं के एक समूह, जिसमें कार्रवाई का कारण 2016 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2733 (डब्ल्यू) के समान था, की सुनवाई की गई और एक साथ निपटाया गया।

पश्चिम बंगाल राज्य के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(उत्तरदाता), नगरपालिका कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक स्वीकृत योजना के अभाव में। 2.9 . एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2018 को पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपीलों के एक समूह को प्राथमिकता दी। उक्त अपीलें थीं -

देबब्रत तिवारी बनाम के मामले में 2018 के सी. ए. एन. 6137 के साथ 2018 के एम. ए. टी. 859 में पारित 30 सितंबर, 2019 के एक सामान्य विवादित फैसले द्वारा सुनवाई और अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल राज्य। विवादित फैसले के माध्यम से, स्थानीय निकायों के निदेशक, बर्दवान नगर पालिका और राणाघाट और हाबरा नगर पालिकाओं में संबंधित प्राधिकरण को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी इस योजना की पहचान की जिसके आलोक में उक्त आवेदनों पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा। इसलिए पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान अपीलें।

2.10 . कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के प्रासंगिक निष्कर्ष, 30 तारीख के सामान्य विवादित फैसले में

सितंबर, 2019 को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया

आई.

सरकार की ओर से प्रचार किया गया कि आवेदन करने के समय के बीच अनुचित देरी हुई थी

अनुकंपा के आधार और संबंधित अधिकारियों ने एक समिति का गठन करके एक जांच शुरू की, लेकिन अंततः उनके आवेदनों पर विचार करने और उनके संबंधित नामों की सिफारिश करने में वर्षों लग गए। स्थानीय निकायों के निदेशक ने बिना किसी निर्णय के मामले को लंबित रखा।

सिफारिशों को मंजूरी, परिणामस्वरूप, एक रिट याचिका [2023] 2 एस. सी. आर.

दायर किया गया था जिसे स्थानीय निकायों के निदेशक को एक समय सीमा के भीतर आवेदनों पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश के साथ निपटाया गया था। कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, स्थानीय निकायों के निदेशक ने केवल 16 अक्टूबर, 2015 को बर्दवान नगर पालिका के संबंध में मामले का निपटारा किया। इसलिए, लगभग दस वर्षों का समय केवल आवेदनों को संसाधित करने के लिए खर्च किया गया था और इस तरह की देरी के लिए उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था।

कर्मचारी। इस मुद्दे पर कि क्या अनुदान के लिए कोई योजना थी

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों के संबंध में, खंड पीठ एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से भिन्न थी। सर्कुलर नंबर के एक संयुक्त पठन पर। 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303 एम्प। , यह देखा गया कि यह स्पष्ट था कि उपरोक्त परिपत्र विशिष्ट योजनाएं थीं नगरपालिकाओं के संबंध में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए। कि उक्त योजनाएं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों, सरकार के प्रतिष्ठानों में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में थीं।

नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय प्राधिकरणों को शामिल करते हुए, न तो वापस लिया गया और न ही बाद की अधिसूचनाओं और परिपत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यद्यपि परिपत्र सं. 142-एम्प। स्पष्ट किया कि 97-एम्प। केवल राज्य सरकार ए. टी. ई. ऑफ वेस्ट बंगाल v के संबंध में लागू था।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

कर्मचारियों और नगर पालिकाओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया, संबंधितों द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी

अनुकंपा नियुक्ति परिपत्र संख्या के तहत उपलब्ध है। 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303-एम्प। और किसी भी बाद की योजना या विशिष्ट निकासी के अभाव में

उत्तरदाताओं द्वारा की गई अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापित योजना के अभाव में, और यह देखते हुए कि

परिपत्र संख्या 301-एम्प। , 302 - एम्प. और 303 एम्प। विशेष रूप से वापस नहीं लिए गए थे, वे बने रहेंगे

लागू होता है। इसलिए, नगर पालिकाओं के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति परिपत्र संख्या के तहत योजना द्वारा शासित होगी। 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303-एम्प। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और स्थानीय निकायों के निदेशक, बर्दवान प्रभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को 12 जून, 2013 के ज्ञापन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें बर्दवान नगर पालिका के अध्यक्ष ने इसके तहत नियुक्त किए जाने के लिए अनुशंसित नामों की मंजूरी मांगी थी।

अनुकंपा के आधार। इसके अलावा, स्थानीय निकायों के निदेशक को यह जांचने का निर्देश दिया गया कि क्या अनुशंसा करते समय दस्तावेजों का उचित निरीक्षण किया गया था

ऐसे नाम और क्या योजना के तहत उल्लिखित मापदंड परिपत्र संख्या में निहित हैं। 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303-एम्प। सिफारिश करते समय बर्दवान नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा उचित रूप से पालन किया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं की पात्रता के बारे में निष्कर्षों से व्यथित, वर्तमान अपीलें पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. हमने श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी को अपीलकर्ता-पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश होते हुए और प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील श्री इंद्रदीप पाल को सुना है, और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

प्रस्तुतियाँः 4.
अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-पश्चिम बंगाल राज्य

शुरुआत में प्रस्तुत किया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्ष कानून और तथ्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित थे और इसलिए उन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए। 4.1 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इतने विलंबित स्तर पर निर्देश दिया जाए कि उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए

अनुकंपा के आधार का कोई मोचन उद्देश्य नहीं होगा। यह कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की नीति के पीछे तर्क सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को तत्काल सहायता प्रदान करना है जो नौकरी में मर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक होगा कि आश्रितों को परिवार के किसी कमाने वाले की मृत्यु या अक्षमता के परिणामस्वरूप अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। यदि उक्त उद्देश्य पूरा नहीं होने जा रहा है, तो न्यायालय उसी को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश नहीं दे सकता है। कि तत्काल मामलों में, उत्तरदाताओं द्वारा किए गए आवेदन-रिट याचिकाकर्ताओं के लिए

सरकार की ओर से निष्क्रियता को चुनौती देने के लिए, विचार करने के लिए एक निर्देश अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जारी नहीं किया जा सकता है।

4.3 . इसके बाद यह तर्क दिया गया कि परिपत्र सं. 142-एम्प। स्पष्ट किया कि 97-एम्प। केवल राज्य सरकार के संबंध में लागू था कर्मचारियों और नगर पालिकाओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। इसका मतलब यह होगा कि राज्य सरकार की नीति के रूप में, यह घोषित किया गया था कि प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अनुकंपापूर्वक नियुक्ति देना व्यवहार्य नहीं है।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए। वह परिपत्र संख्या 142 एम्प के तहत स्पष्टीकरण के आधार पर। , स्थिति यह होगी कि नगर पालिकाओं में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई योजना मौजूद नहीं है। यह ऐसे प्रतिष्ठानों को तैयार करने के लिए है

संबंधित प्रशासनिक विभाग के परामर्श से उनकी अपनी नीतियां। कि, एक स्वीकृत योजना के अभाव में

नगरपालिका कर्मचारियों के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती थी।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, अपीलार्थी-पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए। 5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील-रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय मामले के तथ्यों और कानून की निर्विवाद सराहना के आधार पर पारित किया गया था।

इस संबंध में और इसलिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5.1 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी योजना को प्रतिष्ठानों में लागू किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं -

नगरपालिकाएँ। इस प्रकार, याचिकाकर्ता राज्य यह तर्क नहीं दे सका कि नगरपालिका कर्मचारियों के लिए किसी भी अलग अनुकंपा नियुक्ति योजना के अभाव में नगरपालिका के कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 5.2 . वह अधिसूचना संख्या 301-एम्प। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को 'छूट प्राप्त श्रेणी' के रूप में घोषित किया गया, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त 'छूट प्राप्त श्रेणी' को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया गयाः

क) काम पर रहते हुए मरने वाले कर्मचारियों के आश्रित। ख) सेवानिवृत्त होने वाले अक्षम कर्मचारियों के आश्रित।

ग) भूमि खोने वालों के परिवारों से संबंधित व्यक्ति।

(घ) पूर्व जनगणना कर्मचारी। ई) निर्वहन प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति।

23] 2 एस सी आर।

इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 303-एम्प द्वारा। , राज्य सरकार ने 30 प्रतिशत रिक्तियों को 'छूट प्राप्त श्रेणी' द्वारा भरने के लिए आरक्षित किया।

इसके बाद, एक परिपत्र संख्या 97-एम्प। दिनांक 6 जून, 2005 को याचिकाकर्ता राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

1999 के अधिनियम की धारा 3 (सी) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, 'छूट प्राप्त श्रेणी' के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मुद्दे से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालांकि, अधिसूचना संख्या 142-एम्प के माध्यम से। दिनांक 1 नवंबर, 2007 को यह स्पष्ट किया गया था कि अधिसूचना संख्या 97-एम्प। यह केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित था और जहां तक अन्य प्रतिष्ठानों का संबंध है, उन्हें सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनानी होंगी।

राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू।

कि नगरपालिका के लिए विशेष रूप से तैयार की गई नीति के अभाव में

कर्मचारियों, अनुकंपा नियुक्ति परिपत्र संख्या के बल पर दी जा सकती थी। 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303-एम्प।

5.3 . यह प्रतिवाद किया गया था कि चूंकि प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कार्रवाई करने में देरी केवल अपीलार्थी के अधिकारियों के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए प्रत्यर्थी को इस तरह की देरी के कारण पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। कि प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के साथ-साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भी मामले को लगन से आगे बढ़ाया।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रार्थना की गई थी-रिट याचिकाकर्ताओं कि वर्तमान अपीलों को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए और विवादित निर्णय की पुष्टि की जाए।

विचार के लिए बिंदुः

6. निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिएः

आई. क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने में गलती की-रिट याचिकाकर्ता और

यह निर्देश देते हुए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके दावों पर अपीलार्थी द्वारा विचार किया जाए?

ii. कौन सा आदेश?

6.1 . ये अपीलें मुख्य रूप से इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य में कोई योजना मौजूद है, जो नगर निगम के कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करती है जो नौकरी में मर रहे हैं। में

यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, तो यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि पश्चिम बंगाल राज्य के कई वर्षों बाद कोई निर्देश जारी किया गया है या नहीं।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन भरे जाते हैं, ऐसे आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति/योजना के उद्देश्य के अनुरूप होता है।

अनुकंपा नियुक्ति की नीतिः तर्कः

7. मृत्यु की महिमा यह है कि यह एक महान स्तर है, यह युवा और बूढ़े या अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं करता है। मृत्यु।

हर प्राणी। इस प्रकार, जबकि मृत्यु निश्चित है, इसका समय अनिश्चित है। इसके अलावा, एक मृत कर्मचारी हमेशा मूल्यवान संपत्ति नहीं छोड़ता है; वह कभी-कभी अपने परिवार के निकटतम सदस्यों का सामना करने के लिए गरीबी छोड़ सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का मतलब उसके परिवार के लिए आर्थिक मृत्यु नहीं है? इस संबंध में राज्य का दायित्व, जो अपने कर्मचारियों तक ही सीमित है, जो काम के दौरान मर जाते हैं, ने अनुकंपा प्रदान करने वाली योजनाओं और नियमों को जन्म दिया है ऐसे परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के उदाहरण के रूप में उसके परिवार के एक योग्य सदस्य की नियुक्ति। इस तरह के प्रावधान के लिए समर्थन भारत के संविधान के भाग IV, यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 के प्रावधानों से प्राप्त किया गया है।

7.1 . अनुकंपा के लिए किसी नीति या योजना के पीछे के तर्क पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उचित हो सकता है। नियुक्ति और वे विचार जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावों के निर्धारण का मार्गदर्शन करने चाहिए।

सुषमा गोसाई बनाम भारत संघ, (1989) 4 एस. सी. सी.

आई.

संकट में परिवार को छुड़ाएँ। उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994)

ii.

4 एस. सी. सी. 138, इस न्यायालय ने कहा कि अनुदान देने का उद्देश्य

अनुकंपा रोजगार मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करके एक मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को अचानक संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए है जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र है। वह केवल एक कर्मचारी की मृत्यु [2023] 2 एस. सी. आर.

अपने परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाता है; सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करें और यह केवल तभी होगा जब यह संतुष्ट हो कि, लेकिन रोजगार के प्रावधान के लिए, परिवार संकट का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी चाहिए, बशर्ते कि इसके लिए एक योजना या नियम प्रदान किए जाएं। इस न्यायालय ने उक्त मामले में आगे स्पष्ट किया कि

अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। कि इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले, दयालु रोजगार की मृत्यु के समय करता है।

काफी समय बीतने के बाद और संकट से उबरने के बाद दावा और पेशकश नहीं की जा सकती है।

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हकीम सिंह, (1997) 8 एस. सी. सी. 85, ("हकीम सिंह") मामले में इस न्यायालय ने आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दावे करने और संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने के तरीके में तत्कालता की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। इस न्यायालय ने आगाह किया कि यह नहीं भूलना चाहिए कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना है।

अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य के असामयिक निधन के कारण आश्रितों पर प्रभाव डालना। इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के चौदह साल बाद अनुकंपा के आधार पर दावेदारों की नियुक्ति का निर्देश देना उचित नहीं होगा। कि इस तरह का निर्देश एक दावे पर विचार करने के बराबर होगा

हरियाणा राज्य बनाम अंकुर गुप्ता, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3797 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे के लिए उचित माना जाना चाहिए और अनुमेय रूप से, यह दिखाया जाना चाहिए कि राज्य की सेवा करने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप मृतक के परिवार में अचानक संकट पैदा हो गया और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यह भी देखा गया कि पश्चिम बंगाल बनाम ए. टी. ई. पर नियुक्ति।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अनुकंपा के आधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और मृत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी प्रकार के पदों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस न्यायालय का इस सिद्धांत पर एक सुसंगत अधिकार है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल उस तत्काल अप्रत्याशित कठिनाई को पूरा करने के लिए दी जाती है जिसका सामना परिवार को रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण करना पड़ता है-जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1996) 1 एस. सी. सी. 301। जब एक नियुक्ति अनुकंपा पर की जाती है

इस आधार पर, इसे केवल उस उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, विचार अंतहीन करुणा प्रदान करने के लिए नहीं है, आई. जी. (कर्मिक) बनाम प्रहलाद मणि

त्रिपाठी, (2007) 6 एससीसी 162। इसी तरह मुमताज यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 11 एस. सी. सी. 384 में इस न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने का एक साधन है।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2743 में, इस न्यायालय के समक्ष तथ्य यह थे कि सरकारी कर्मचारी (उसमें आवेदक के पिता) की मृत्यु मार्च, 1987 में हुई थी। आवेदन किया गया था

साढ़े चार साल बाद सितंबर, 1991 में आवेदक जिसे मार्च, 1996 में खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका जून, 1999 में दायर की गई थी जिसे जुलाई, 2000 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। जब डिवीजन बेंच ने मामले का फैसला किया, तो आवेदक के पिता की मृत्यु की तारीख से पंद्रह साल से अधिक समय बीत चुका था। इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि उक्त तथ्य प्रासंगिक और सामग्री थे क्योंकि वे यह दर्शाता है कि कर्मचारी की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा। इसलिए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि काफी समय बीत जाने के बाद अनुकंपा से नियुक्ति प्रदान करना

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद का समय, अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में नहीं होगा।

शशि कुमार के मामले में, इस न्यायालय ने डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहा कि [2023] 2 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है कि राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति उन सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप हैं। कि नीति का आधार यह है कि यह मान्यता देता है कि एक मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है। कि यह आवश्यकता की तात्कालिकता है जो राज्य को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ की अनुमति देने के लिए आधार प्रदान करती है। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ हैं -

इसे निम्नानुसार निकाला गया है:

" 41. जहाँ तक प्रत्यर्थी से संबंधित व्यक्तिगत तथ्यों का संबंध है, यह रिकॉर्ड से सामने आया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका थी

11 मई 2015 को स्थापित किया गया। के लिए आवेदन

8 मई 2007 को अनुकंपा नियुक्ति प्रस्तुत की गई थी। 15 जनवरी 2008 को अतिरिक्त सचिव ने आवश्यक किया था कि पेंशन के माध्यम से प्राप्त राशि को परिवार के आय विवरण में शामिल किया जाए। इसके बाद प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए सात साल से अधिक समय तक इंतजार किया। उमेश कुमार नागपाल (ऊपर) में, यह अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना का आधार मृतक के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है

कर्मचारी। तात्कालिकता की यह भावना स्पष्ट रूप से आश्रित की ओर से तलाश में देरी से खो जाती है।

अनुकंपा नियुक्ति "।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने पर,

शिष्य उभरते हैं:

कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक प्रावधान सामान्य प्रावधानों से अलग करता है भर्ती की एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी पद पर नियुक्ति। चूँकि ऐसा प्रावधान नियुक्ति को सक्षम बनाता है।

उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जा रहा है, यह सामान्य प्रावधानों के लिए एक अपवाद की प्रकृति में है और केवल बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका सहारा लिया जाना चाहिए, अर्थात, मृतक के परिवार को इस प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम बनाने के लिए।

अचानक वित्तीय संकट।

पश्चिम बंगाल राज्य v. देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक स्रोत नहीं है

ii.

भर्ती। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रित आजीविका के साधनों से वंचित न रहें। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है। अनुकंपापूर्ण नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है जो

iii.

भविष्य में किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है। अनुकंपा रोजगार का दावा या पेशकश एक अंतराल के बाद नहीं की जा सकती है

समय और संकट समाप्त होने के बाद।

वह दयालु नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए

iv.

संकट में परिवार को तुरंत मुक्त करने के लिए। यह अनुचित है।

इस तरह के मामले को वर्षों तक लंबित रखना।

यह निर्धारित करने में कि परिवार वित्तीय संकट में है या नहीं,

वी.

परिवार की आय, उसकी देनदारियों, परिवार द्वारा प्राप्त अंतिम लाभ, आयु, निर्भरता और उसके सदस्यों की वैवाहिक स्थिति सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अन्य स्रोत।

रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण अचानक आए संकट ने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया है। से बाहर विशुद्ध मानवीय विचार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है जो ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक के आश्रितों को अनुकंपा से नियुक्ति देने का कोई फायदा नहीं होगा।

कर्मचारी, एक रोटी विजेता की मृत्यु के कारण उत्पन्न संकट के बाद, दूर हो गया है। इस प्रकार, दयालुता से संबंधित मामलों में तत्कालता की भावना के साथ कार्य करने की भी आवश्यकता है

नियुक्ति क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर, अनुकंपा की योजना का उद्देश्य निराश होगा। जहाँ मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद से समय का एक लंबा अंतराल हुआ है,

अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए तात्कालिकता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार इसका महत्व समाप्त हो जाएगा और यह एक प्रासंगिक परिस्थिति [2023] 2 एस. सी. आर. होगी।

जिसे यह निर्धारित करने में अधिकारियों के साथ विचार करना चाहिए कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए एक मामला विचार के लिए बनाया गया है।

7.4 . जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि मृतक का परिवार

मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से एक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए बिना कर्मचारी दो उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होगा। मृतक की मृत्यु के समय मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति प्राथमिक विचार है जो इस मामले में अधिकारियों के निर्णय का मार्गदर्शन करना चाहिए।

7.5 . ऊपर उल्लिखित दूसरे प्रश्न पर विचार करते हुए, पहली बार में, इस बारे में कि क्या अनुकंपा के लिए आवेदन

लंबे समय तक विलंब के कारण, मृतक का परिवार संभवतः किसी अन्य स्रोत से लाभकारी रोजगार का लाभ उठाकर अपना भरण-पोषण करने में सक्षम था। ऐसे मामले में अनुकंपा नियुक्ति देना, जैसा कि इस न्यायालय ने हकीम सिंह में उल्लेख किया है, अनुकंपा नियुक्ति के दावे को मान लेने के बराबर होगा जैसे कि यह एक मामला था उत्तराधिकार की एक रेखा पर आधारित विरासत जो संविधान के विपरीत है। चूँकि अनुकंपापूर्वक नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और यह मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय स्थिति और कठिनाइयों के सापेक्ष है।

उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद से काफी समय बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8. लापरवाही या अनुचित देरी, विवेकाधीन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ इक्विटी का दरवाजा खटखटाने में किसी व्यक्ति का दोष-योग्य आचरण

ऐसी राहत जो उन्हें इस तरह की राहत देने के लिए अयोग्य ठहरा दी गई थी, के बारे में बताया गया था

सर बार्न्स पीकॉक द्वारा लिंडसे पेट्रोलियम कंपनी बनाम। प्रोस्पर आर्मस्ट्रांग, (1874) 3 पी. सी. 221 निम्नानुसारः

पश्चिम बंगाल राज्य v. देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

" अब समानता के न्यायालयों में बाधाओं का सिद्धांत एक मनमाना या तकनीकी सिद्धांत नहीं है। जहाँ यह व्यावहारिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा

एक उपाय दें, या तो इसलिए कि पक्ष ने अपने आचरण से वह किया है जिसे उचित रूप से इसकी छूट के बराबर माना जा सकता है, या जहां अपने आचरण और उपेक्षा के कारण उसने दूसरे पक्ष को ऐसी स्थिति में डाल दिया है, जिसमें उसे रखना उचित नहीं होगा यदि उपाय था

बाद में कहा जाए तो, इनमें से किसी भी मामले में, समय की समाप्ति और देरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हर मामले में, अगर एक तर्क

राहत के खिलाफ, जो अन्यथा न्यायसंगत होगा, केवल देरी पर आधारित है, कि देरी निश्चित रूप से किसी भी क़ानून या सीमाओं द्वारा एक बाधा के बराबर नहीं है, उस बचाव की वैधता को काफी हद तक न्यायसंगत सिद्धांतों पर परीक्षण किया जाना चाहिए। दो परिस्थितियाँ, जो ऐसे मामलों में हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, वे हैं, विलंब की अवधि और अंतराल के दौरान किए गए कार्यों की प्रकृति, जो दोनों में से किसी एक को प्रभावित कर सकती हैं।

पक्षकार और जहाँ तक यह उपचार से संबंधित है, एक या दूसरे मार्ग को अपनाने में न्याय या अन्याय का संतुलन बनाएँ।

क्या इंग्लैंड के इक्विटी न्यायालय द्वारा किसी पक्ष को राहत देने से वंचित करने वाला उपरोक्त सिद्धांत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राहत देने से वंचित कर सकता है, इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मून मिल्स लिमिटेड बनाम मून मिल्स लिमिटेड मामले में विचार के लिए आया। एम. आर. मेहर, अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, बॉम्बे, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1450। उक्त मामले में, इसे एक ऐसे सिद्धांत के रूप में माना गया था जिसने किसी पक्ष को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से राहत देने के लिए वंचित कर दिया था।

संविधान का अनुच्छेद 226। एम. पी. बनाम राज्य में नंदलाल जैसवाल, (1986) 4 एस. सी. सी. 566 इस न्यायालय ने पहले की घोषणाओं में व्यक्त किए गए सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में दोहरायाः

“ 9. ..... उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आम तौर पर सुस्त और सुस्त या सहमत व्यक्ति की सहायता नहीं करता है और

सुस्त। यदि याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक देरी होती है और इस तरह की देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं जाता है, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने और अपने रिट के प्रयोग में राहत देने से इनकार कर सकता है।

अधिकार क्षेत्र। यह कहा गया था कि यह नियम कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय आम तौर पर असाधारण उपचार के लिए देर से सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इससे भ्रम और सार्वजनिक असुविधा होने की संभावना है और अपने पाठ्यक्रम में नया [2023] 2 एस. सी. आर. लाने की संभावना है।

अन्याय, और यदि रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अनुचित होने के बाद किया जाता है

देरी, यह न केवल कठिनाई पैदा करने का प्रभाव हो सकता है और असुविधा लेकिन तीसरे पक्ष पर भी अन्याय। यह इंगित किया गया था

कि जब रिट अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत देरी युग्मित होती है इस बीच में तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के साथ एक है

महत्वपूर्ण कारक जो निर्णय लेने में उच्च न्यायालय के साथ भी वजन रखता है

ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करना है या नहीं। "

जबकि हम इस तथ्य का ध्यान रखते हैं कि कोई सीमा की अवधि नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करने के लिए, आम तौर पर, एक रिट याचिका एक उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए।

जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य (1997) 6 एस. सी. सी. 538; एन. डी. एम. सी. बनाम पान सिंह (2007) 9 एस. सी. सी. 278।

9. इसके अलावा, केवल इसलिए कि उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता

वर्ष 2005-2006 में संबंधित प्राधिकारी को अपने आवेदन प्रस्तुत किए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मामले को लगन से देखा और अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचा था। इस संबंध में, उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित हो सकता है। सिंह भंडारी, (2013) 12 एस. सी. सी. 17, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

" 19. उपरोक्त अधिकारियों से यह स्पष्ट है कि यहाँ तक कि

यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण विचार के लिए निर्देश देता है

क्रिया का कारण फीनिक्स की तरह नहीं उठ सकता है। इसी तरह, एक मात्र सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना

समय को रोकता नहीं है। "

(हम पर जोर दें)

10. उक्त अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम

अभिनिर्धारित करें कि उत्तरदाता-लिखित याचिकाकर्ता, उन्हें प्रस्तुत करने पर

वर्ष 2006-2005 में आवेदनों ने वर्ष 2015 तक, यानी दस साल की अवधि के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। अपीलकर्ता-राज्य के अधिकारियों के अपने आवेदनों से निपटने में विलंब के बावजूद, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से एक रिट की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी की। वास्तव में, आने में इतनी लंबी देरी

उच्च न्यायालय को एक उपाय की छूट के रूप में भी माना जा सकता है, जो उत्तरदाताओं के आचरण से स्पष्ट है-रिट याचिकाकर्ता।

ऐसा पश्चिम बंगाल राज्य v. देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

देरी उत्तरदाताओं को अयोग्य ठहराएगी-संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत के लिए याचिकाकर्ताओं को लिखें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय का 17 मार्च, 2015 का आदेश, जिसके तहत कुछ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा स्थानीय निकायों के निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था, कार्रवाई के कारण के पुनरुद्धार का प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

11. मलाया नंदा सेठी बनाम उड़ीसा राज्य मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना इस समय उचित हो सकता है।

ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 2836, जिस तरीके से अधिकारियों को अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करना और निर्णय लेना चाहिए

आधारः

मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप, अधिकारियों को ऐसे आवेदनों पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए
प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए, जल्द से जल्द, लेकिन छह की अवधि से अधिक नहीं

इस तरह के पूर्ण जमा करने की तारीख से महीने

अनुप्रयोग।

हम ऊपर बताए गए निर्देश देने के लिए विवश हैं क्योंकि हमने पाया है कि कई मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन समय पर नहीं दिए जाते हैं और वर्षों तक लंबित रहते हैं। नतीजतन, कई मामलों में आवेदकों को अपने आवेदनों पर विचार करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करना पड़ता है। इस तरह का निर्देश जारी होने के बाद भी, आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए तुच्छ या परेशान करने वाले कारण दिए जाते हैं। एक बार फिर, आवेदकों को उच्च न्यायालय के समक्ष अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देनी होगी जो आगे जाता है
मुकदमेबाजी के लंबित होने और समय बीतने के कारण, उस कर्मचारी के परिवार को छोड़ दिया जाता है जिसकी मृत्यु संकट में और वित्तीय कठिनाई में हो गई थी। इसके अलावा, अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों और अप्रासंगिक विचारों पर, अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। कई वर्षों के बाद या माना नहीं जाता है

बिल्कुल जैसे तत्काल मामले में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य

प्रासंगिक के तहत परिकल्पित अनुकंपा के आधार

नीतियों या नियमों को प्राप्त करना होगा तो यह उचित है और

यह आवश्यक है कि ऐसे आवेदनों पर समय पर विचार किया जाए

और विलंबित तरीके से नहीं। हम ऐसे मामलों में आए हैं जहाँ

आवेदन के संबंध में लगभग दो दशक का विवाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए हल नहीं किया जाता है। इसके फलस्वरूप

दयालुता प्रदान करने की नीति की हताशा की ओर ले जाती है

सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर नियुक्ति। हम.

इसलिए, निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए

सबसे पहले समय पर। विचार निष्पक्ष होना चाहिए,

उचित और प्रासंगिक विचार पर आधारित। आवेदन

और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य हो सकता है हासिल किया "।

(हम पर जोर दें)

उक्त मामले में, अपीलार्थी का दावा-इसके लिए आवेदक

उसके आवेदन पर विचार करने में लंबे समय तक देरी के कारण भी तथ्य यह है कि अंतरिम में, अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली राज्य की नीति उनके नुकसान के लिए बदल गई थी। इसलिए, उक्त मामले के तथ्य इसमें शामिल तथ्यों से अलग थे। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं के आचरण को निर्दोष नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने मामले को पर्याप्त परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ाया। तथापि, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटान करने के तरीके के बारे में उक्त मामले में की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं।

जैसा कि उक्त मामले में उल्लेख किया गया है, के लिए एक नीति/योजना का संचालन

अनुकंपापूर्ण नियुक्ति तात्कालिकता के विचारों पर आधारित होती है। न केवल संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदनों को संसाधित करने के तरीके में बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य में भी तात्कालिकता की भावना की आवश्यकता है।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अपने मामले को आगे बढ़ाने में आवेदक का आचरण, अधिकारियों के समक्ष और यदि आवश्यक हो तो न्यायालयों के समक्ष।

12. वर्तमान मामले में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन उत्तरदाताओं द्वारा वर्ष 2005-2006 में किए गए थे। मान लीजिए, बर्दवान नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा पहला ठोस कदम वर्ष 2013 में उठाया गया था, जब उक्त प्राधिकरण ने स्थानीय निकायों के निदेशक, बर्दवान नगर पालिका द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी। उत्तरदाता-रिट याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख से लगभग दस साल के अंतराल के बाद, केवल वर्ष 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उत्तरदाता-लिखें

याचिकाकर्ता इतने विवेकपूर्ण नहीं थे कि वे जल्दी से अदालतों का रुख कर सकें।

यह दावा करते हुए कि अपीलार्थी-राज्य द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, की प्रकृति में एक रिट की मांग करके

मैंडमस।

13. वर्तमान मामले में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में तात्कालिकता की भावना खो गई है। इसका श्रेय अपीलार्थी-राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों-रिट याचिकाकर्ताओं को दिया जा सकता है। अब, वर्ष 2023 में 2005-2006 में किए गए दावे पर विचार करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तरदाता लेखन याचिकाकर्ता भले ही जीविकोपार्जन करने में सक्षम रहे हों।

14. तथापि, सैकड़ों आश्रितों की अनुकंपापूर्वक नियुक्ति के लिए आवेदनों को जिस तरह से निपटाया गया है, उसके बारे में हमें अपीलकर्ता-राज्य के अधिकारियों को निर्देशित निंदा का एक मजबूत शब्द सुनना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के दायरे, विस्तार और लाभार्थियों के बारे में बहुत अनिश्चितता है और इसलिए, संबंधित अधिकारी इसके लिए दावों पर सकारात्मक निर्णय लेने में असमर्थ/अनिच्छुक हैं। अनुकंपा नियुक्ति। हो सकता है कि इसके परिणामस्वरूप कई सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ हो, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई हो। राज्य के अधिकारियों की ओर से दावों पर निर्णय लेने में देरी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की योजना के उद्देश्य को ही विफल कर देगी। सरकारी अधिकारियों को [2023] 2 एस. सी. आर. का निर्णय लेते समय अत्यधिक सक्रियता और तात्कालिकता की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।

अनुकंपापूर्ण नियुक्ति के दावे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी योजना का संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो। 15. यह प्रश्न कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के कई वर्षों बाद जारी किया गया निर्देश, इस तरह के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति/योजना के उद्देश्य के अनुरूप है, का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।

हालांकि, हम यह भी जांच करेंगे कि क्या इन अपीलों को सफल होना चाहिए।

दूसरी गणना पर, अर्थात, क्या पश्चिम बंगाल राज्य में कोई योजना मौजूद है, जो अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करती है, जबकि नगर निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति में मृत्यु हो रही है। 16. इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य में कोई योजना मौजूद है, शासी अनुकंपा

पद पर रहते हुए मरने वाले नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार की सामग्री का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। प्रासंगिक परिपत्र इस प्रकार हैं: 301 - एम्प. , 302 - एम्प. और 303-एम्प। सभी दिनांक 21 अगस्त, 2002; 97-एम्प। दिनांक 6 जून, 2005 और 142-एम्प। दिनांक 1 नवंबर, 2007।

ऐसे प्रत्येक परिपत्र के प्रासंगिक भाग निकाले जाते हैं।

आसान संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

सं. 301-ई. एम. पी./आई. एम.-10/2000-21 अगस्त, 2002:

" राज्य में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन की धारा 3 की उप-धारा (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक प्रतिष्ठान

उपक्रम, सांविधिक निकाय। सरकारी कंपनियाँ और

स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XIV), राज्यपाल ने उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट प्राप्त श्रेणियों के रूप में घोषित किया है:

1. काम पर रहते हुए मरने वाले कर्मचारियों के आश्रित: ए केवल

आश्रित पत्नी/बेटा/बेटी/एक कर्मचारी का निकट संबंध जो अपने परिवार को तत्काल आवश्यकता में छोड़ते हुए नौकरी में मर जाता है

सहायता करते हैं।

मृतक कर्मचारी के निकट संबंधियों को केवल अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए विचार किया जा सकता है।

जब मृतक कर्मचारी के बेटे/बेटी/पत्नी को कम उम्र या अन्य अक्षमताओं के कारण रोजगार के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में पश्चिम बंगाल के आई. ई. राज्य का नियोजन V.

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

मृतक कर्मचारी के निकट संबंधियों को केवल तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए माना जा सकता है। परिवार, मृतक द्वारा छोड़ दिया गया।

XXX

यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्रम विभाग में समय-समय पर जारी किए गए सभी पूर्व परिपत्रों और कार्यकारी आदेशों को हटा देता है, जो श्रम विभाग से संबंधित व्यक्तियों के रोजगार से संबंधित हैं।

छूट प्राप्त श्रेणियाँ "।

सं. 302-ई. एम. पी./1 एम.-10/2000-21 अगस्त, 2002:

" राज्य में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन की धारा 3 की उप-धारा (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 (1999 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XIV), राज्यपाल ने रिक्तियों के अलावा किसी भी नियुक्ति प्राधिकरण के तहत एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली स्थानीय रिक्तियों के बारे में आदेश दिया है।

जिन्हें या तो की सिफारिशों पर भरा जाना आवश्यक है

(क) लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल, या ((ख) पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग, या

(ग) पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग, या

((घ) नगरपालिका सेवा आयोग, या

(ङ) सहकारी सेवा आयोग या पदोन्नति द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित व्यक्तियों के अवशोषण द्वारा या आकस्मिक श्रमिकों और अन्य श्रेणियों की ऐसी श्रेणियों के अवशोषण द्वारा।

राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे कि 30 प्रतिशत श्रमिकों को उप-प्रावधानों के तहत अधिसूचित छूट प्राप्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाना आरक्षित माना जाएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की धारा (ए)।

सं. 303-ई. एम. पी./1 एम.-10/2000-21 अगस्त, 2002:

" राज्य में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन की धारा 3 की उप-धारा (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय (2023) 2 एस. सी. आर.

प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का पश्चिम बंगाल अधिनियम XIV), राज्यपाल ने छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है:

उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (ए) के तहत निर्दिष्ट:

उ. अलग-अलग श्रेणियों के सम्मान में पालन की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया: 1. दोहन में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रित: मृतक कर्मचारी की पत्नी/बेटे/बेटी/निकट संबंधियों के अलावा और केवल मृतक कर्मचारी की कमाई पर निर्भर कोई भी व्यक्ति इस तरह के रोजगार के लिए विचार के पात्र नहीं होगा। लाभ तब स्वीकार्य होगा जब मृतक कर्मचारी द्वारा छोड़े गए परिवार को तत्काल सहायता और इस तरह के रोजगार की आवश्यकता है।

मृतक के परिवार का समर्थन करने के लिए अनुकंपा का आधार बिल्कुल आवश्यक है। एक पूरी तरह से अलग परिवार से संबंधित व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर ऐसे रोजगार के उद्देश्य के लिए केवल मृत कर्मचारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा।

एक कर्मचारी की पत्नी/बेटा/बेटी/निकट संबंध, जिसकी मृत्यु हो गई है, मृतक के परिवार का समर्थन करने के लिए रोजगार के लिए प्रार्थना करने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ अनुबंध "ए" के भाग I और II के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में कर्मचारी के कार्यालय के प्रमुख के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी। इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर नियुक्ति प्राधिकरण कम से कम तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति बनाएगा। इस प्रकार गठित समिति प्रार्थना की वास्तविकता के साथ-साथ मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करेगी और नियुक्ति प्राधिकरण को अनुलग्नक "ए" के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नियुक्ति प्राधिकारी अनुलग्नक "ए" में दर्ज अपने विचारों के साथ मामले को संबंधित प्रशासनिक विभाग को विचार के लिए भेजेगा। यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुकंपा के आधार पर रोजगार की पेशकश के लिए एक उपयुक्त मामला होने का निर्णय लिया जाता है, तो रोजगार प्रदान करने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण के तहत एक उपयुक्त रिक्ति की पहचान इस शर्त के साथ की जा सकती है कि उम्मीदवार योग्यता और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पद पर भर्ती के लिए निर्धारित। यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण के तहत एक उपयुक्त रिक्ति उपलब्ध नहीं है

प्रशासनिक विभाग आई. ई. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल v के तहत उपयुक्त रिक्तियों की पहचान कर सकता है।

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कुछ अन्य नियुक्ति प्राधिकरण

रोजगार प्रदान करने के लिए। प्रशासनिक विभाग करेगा

उपयुक्त निर्देश के साथ मामले को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजें, जिसके प्रतिष्ठान में रिक्ति की पहचान की गई है। ऐसे मामले को समायोजित करने के लिए बर्थ की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपयुक्त बर्थ के लिए अन्य विभागों को स्थानांतरित करना होगा। जब मामले को समायोजित करने के लिए किसी अन्य विभाग में एक उपयुक्त रिक्ति उपलब्ध होगी, तो प्रशासनिक विभाग आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित कागजातों के साथ मामले को उस विभाग को भेजेगा। द.

छूट प्राप्त श्रेणी के पदों में रिक्त होने वाला विभाग संबंधित शर्तों और औपचारिकताओं के पालन के अधीन कर्मचारी की पत्नी/बेटे/बेटी/निकट संबंधियों को रोजगार प्रदान करेगा। 97 - एम्प. - 6 जून, 2005:

" राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिष्ठानों में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन की धारा 3 के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनी और स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम, 1999, राज्यपाल ने निम्नलिखित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है जिनका अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मुद्दे से निपटने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, या जो स्थायी रूप से अक्षम घोषित होने पर समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

XXX

2. एक कर्मचारी के आश्रितों में से एक जो नौकरी में मर जाता है या जो स्थायी रूप से घोषित होने पर समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है अक्षम व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है:

(i) कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 20 वर्ष की सेवाएँ पूरी करने से पहले स्थायी रूप से अक्षम होने पर सेवानिवृत्त हो गया है, जो भी पहले हो।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी के मृतक के परिवार को, जैसा भी मामला हो, तत्काल सहायता की आवश्यकता है और कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति परिवार के अस्तित्व के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अधिसूचना के संदर्भ में अनुकंपा आधार की नियुक्ति के उद्देश्य से, एक आश्रित का अर्थ होगा पति/पत्नी, एक बेटा या एक अविवाहित बेटी जो (एस. आई. सी.) पूरी तरह से आश्रित थी।

मृतक या सेवानिवृत्त कर्मचारी की आय।

XXX

8. श्रम विभाग उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित में से एक या अधिक विभागों को भेजेगा।

1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

2) विद्यालय शिक्षा विभाग।

3) उच्च शिक्षा विभाग।

4) जन शिक्षा और विस्तार विभाग। 5) गृह (पुलिस) विभाग।

6) जेल विभाग "। ई. एम. पी.-142-1 नवंबर, 2007:

" इस विभाग की अधिसूचना सं. 97 - एम्प, दिनांक 06.06.2005, एक सवाल उठा कि क्या उक्त अधिसूचना के प्रावधान केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों या कर्मचारियों पर लागू होंगे।

राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्रतिष्ठानों में भर्ती के पश्चिम बंगाल विनियमन में उल्लिखित ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों से संलग्न

प्राधिकरण अधिनियम, 1999 भी। इस प्रश्न को टालने के लिए, इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 69-एम्प के संदर्भ में। दिनांक 26-06-2007, यह स्पष्ट किया गया है कि 'कर्मचारी' शब्द का अर्थ राज्य सरकार होगा।

कर्मचारी केवल इस विभाग की अधिसूचना संख्या 97-एम्प, दिनांक 06-06-2005 के उद्देश्य के लिए।

XXX

2. राज्यपाल को अब यह आदेश देते हुए खुशी हो रही है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के उपयुक्त प्राधिकारी-पश्चिम बंगाल राज्य v.

देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उपक्रम, सांविधिक निकाय, सरकारी कंपनियां और स्थानीय प्राधिकरण, अधिनियम आई. बी. आई. डी. के दायरे में, ध्यान रखेंगे

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सिद्धांतों के लिए

जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या 97-एम्प, दिनांकित में उल्लिखित है। 06-06-2005 , शुद्धिपत्र सं. 151-एम्प, दिनांक 08-09 के साथ पढ़ें।

2005 , अधिसूचना संख्या 133-एम्प, दिनांकित 01-10-2007 और कोई अन्य

सरकार द्वारा बाद में जारी किया जाने वाला आदेश/अधिसूचना इस संबंध में, वित्तीय स्थिति और गतिविधियों की प्रकृति

संबंधित संगठन, अपनी खुद की नीतियां तैयार करते हैं

संबंधित प्रशासनिक विभागों के साथ परामर्श करना ताकि

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या वित्तीय सहायता, उनके द्वारा प्राप्त, कर्मचारियों के आश्रितों से जो

स्थायी रूप से घोषित होने पर समय से पहले सेवानिवृत्त हों या सेवानिवृत्त हों

अक्षम।

3. नीति को अधिसूचित करने से पहले, प्रशासनिक विभाग श्रम विभाग की सहमति प्राप्त करें और

वित्तीय विभाग "।

(हम पर जोर दें)

16.1 . अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक योजना शुरू की गई थी

प्रशासनिक विभाग, अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार को खोजने पर, या तो उसे नियुक्ति प्राधिकरण के तहत नियुक्त करेगा जो आवेदन को अग्रेषित करता है, या किसी उपयुक्त व्यक्ति की पहचान करेगा। विभाग जहाँ एक छूट प्राप्त श्रेणी से संबंधित व्यक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति है। परिपत्र में आगे कहा गया है कि किसी भी

जिस विभाग में छूट प्राप्त पदों की श्रेणी में रिक्तियां हैं, वह उस कर्मचारी की पत्नी/बेटे/बेटी/निकट संबंधियों को रोजगार प्रदान करेगा, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी।

अगली अधिसूचना 97-एम्प है। दिनांक 6 जून, 2005 जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए मानदंड निर्दिष्ट करता है

'उन व्यक्तियों के आश्रित जो काम में मारे गए' श्रेणी में। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 142-एम्प। दिनांक 1 3 1 नवंबर, 2007, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है कि क्या 97-एम्प के प्रावधान हैं। यह केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा या यह 1999 के अधिनियम में उल्लिखित अन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े कर्मचारियों पर भी लागू होगा। जहाँ तक अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का संबंध है, यह नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देता है। यह आगे प्रावधान करता है कि स्थानीय अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बना सकते हैं। 16.2 . परिपत्र संख्या 97-एम्प की प्रयोज्यता के बारे में कोई विवाद नहीं है। दिनांक 6 जून, 2005 को स्थानीय प्राधिकरणों जैसे कि नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए क्योंकि परिपत्र संख्या 142-एम्प। दिनांक 1 नवंबर, 2007 बिना किसी अस्पष्ट शब्दों में प्रदान करता है कि 97-एम्प। यह स्थानीय अधिकारियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह सामान्य बात है कि किसी भी दस्तावेज़ के स्पष्टीकरण का प्रभाव हमेशा पूर्वव्यापी होता है और यह उस अधिसूचना की तारीख से संबंधित होगा जिसके संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, अशोक लेनका बनाम ऋषि दीक्षित, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2382 के अनुसार। स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र, अर्थात, परिपत्र सं. 142-एम्प। दिनांक 1 नवंबर, 2007 का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह केवल परिपत्र संख्या 97 के संचालन के दायरे को परिभाषित करता है।

एम्प. दिनांक 6 जून, 2005। इसलिए परिपत्र संख्या 97-एम्प। परिपत्र संख्या 142-एम्प के साथ पढ़ें। केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर उस नीति के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जिस तारीख को आवेदन दायर किया जाता है। वर्तमान मामले में, आवेदन वर्ष 2006 में दायर किए गए थे। इसलिए, उन्हें परिपत्र संख्या 97-एम्प के आलोक में तय करना होगा। परिपत्र संख्या 142-एम्प के साथ पढ़ें। यह देखते हुए कि उक्त परिपत्र स्थानीय पदों के तहत अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करता है

अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। 16.3 . यह उत्तरदाताओं का मामला है-याचिकाकर्ताओं को यहाँ लिखें कि हालांकि परिपत्र संख्या 97-एम्प। परिपत्र संख्या 142-एम्प स्थानीय अधिकारियों पर लागू नहीं होता है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके आवेदनों पर 301-एम्प के आलोक में विचार किया जाना चाहिए था।

, 302 पश्चिम बंगाल राज्य v. देबब्रत तिवारी और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एम्प. और 303-एम्प। जो, उत्तरदाताओं के अनुसार-रिट याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत आने वाले सभी विभागों और प्राधिकरणों पर लागू होता है

1999. हालाँकि, हमारे विचार में, उक्त परिपत्रों को 1999 के अधिनियम द्वारा शासित अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली योजना के रूप में नहीं समझा या पढ़ा गया था। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

(i)

कर्मचारी जो काम में मर गया। शब्द का प्रयोग ' 'विभाग' यह संकेत देगा कि उक्त परिपत्र राज्य सरकार के विभागों में अनुकंपापूर्वक नियुक्ति को नियंत्रित करेगा न कि स्थानीय अधिकारियों को।

(ख)

'विभाग' शब्द का अर्थ होना चाहिए

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल

301-एम्प के बाद की अधिसूचना। , 302 - एम्प. और 303 एम्प। , 97-एम्प। दिनांक 6 जून, 2005 अधिसूचित करता है कि

जिन विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी

दिया जाता है। विभाग राज्य के हैं।

यदि वृत्ताकार संख्या। 301 - एम्प, 305-एम्प और 303-एम्प। हैं।

iii)

पढ़ा जाए ताकि 1999 के अधिनियम के सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा सके, फिर 97-एम्प। दिनांक 6 जून, 2005 को संबंधित 1999 के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान में नियुक्ति का प्रावधान करना चाहिए। यह ऐसा नहीं करता है। इसलिए, परिपत्र संख्या। 301 एम्प, 305-एम्प और 303-एम्प। माना नहीं जा सकता

यह स्थानीय अधिकारियों पर लागू होता है।

16.4 . अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नीति का अस्तित्व अनिवार्य है।

मुमताज यूनुस मुलानी (श्रीमती) बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर); भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी, 2014 (15) एस. सी. सी. 739। नियुक्तियों को नीति में की गई शर्तों का पालन करना चाहिए। इसलिए यह विचारणीय नहीं है कि शासन करने वाली नीति के अभाव में

स्थानीय प्राधिकरण के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा के आधार पर ऐसे प्राधिकरण में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। उस परिपत्र संख्या को धारण करने के बाद। 301 - एम्प, 305-एम्प और 303-एम्प। स्थानीय अधिकारियों पर लागू होने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है, हम असमर्थ हैं

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्षों की पुष्टि [2023] 2 एस. सी. आर.

जो उस परिपत्र संख्या 301-एम्प को दिया गया है। , 302 - एम्प. और 303 एम्प। विशेष रूप से वापस नहीं लिए गए थे, वे लागू रहते रहेंगे

परिपत्र संख्या के तहत योजना द्वारा शासित किया जाएगा। 301 - एम्प. , 302 एम्प. और 303-एम्प।

हमारा आगे यह विचार है कि परिपत्र संख्या 142-एम्प में स्थानीय अधिकारियों को दी गई स्वतंत्रता। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी योजना तैयार करना, इस तथ्य की स्वीकृति है कि स्थानीय अधिकारियों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति मौजूद नहीं थी। 16.5 . जुर्माने में, वर्तमान अपीलें दो मामलों में सफल होती हैंः सबसे पहले, अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति मौजूद नहीं थी

पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानीय प्राधिकरणों के तहत पद और इसलिए, ऐसी नीति के अभाव में, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है; दूसरा, यह मानते हुए कि ऐसी नीति थी, यह निर्देश देने का कोई उद्देश्य नहीं होगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर विचार किया जाए और उनके दायर होने के कई वर्षों बाद निर्णय लिया जाए।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, तत्काल अपीलें

निम्नलिखित शर्तों में सफल होंः

आई.

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और सामान्य आदेश कलकत्ता न्यायालय दिनांक 30 सितंबर, 2019 को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। उच्च के विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश

कलकत्ता न्यायालय दिनांक 05 जुलाई, 2018 को 2016 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2739 (डब्ल्यू) में पारित किया गया और संबंधित मामलों को बहाल किया गया। आवेदक को पक्षकार बनाने के लिए 2022 का आई. ए. सं. 1977,

ii.

खड़े रहने की अनुमति है।

दल अपन-अपन लागत वहन करत।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे (सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)